न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 120/2011 (राजसमन्द आर्डर)

1. श्री अम्बालाल पिता भेरा जी लोहार निवासी फतहपुर तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री लक्ष्मीलाल पिता भेरा जी लोहर निवासी फतहपुर तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
3. श्री मन्नालाल पिता भेरा जी लोहार निवासी फतहपुर तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
4. श्री दलीचन्द पिता भेरा जी लोहार निवासी फतहपुर तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. **श्री नोजा पिता रूपा जी दाणा (गमेती) मृतक के बजाय** :–
   - 1/1– श्री केसुलाल पिता नोजा जी दाणा (गमेती) निवासी फतहपुर तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
   - 1/2– श्री नारू पिता नोजा जी दाणा (गमेती) निवासी फतहपुर तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
   - 1/3– श्री उदयलाल पिता नोजा जी दाणा (गमेती) निवासी फतहपुर तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्रीमती तलकी उर्फ तुलसी बेवा नोजा जी दाणा निवासी फतहपुर तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

..... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) नाथद्वारा दि0 28–07–2010
प्रकरण संख्या 182/2008 प्रार्थना पत्र

————

उपस्थित :–1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट्स

2– श्री गिरधारीसिंह राव अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट्स

——————/——————

निर्णय **दिनांक 30–11–2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट मृतक नोजा द्वारा अपीलान्ट विपक्षी के विरूद्ध धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम फतहपुर में स्थित प्रार्थना पत्र की कम संख्या–2 वर्णित आराजीयात कूल किता–4 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि प्रार्थी नोजा एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 18 के खाते एवं कब्जे में है। पहले यह भूमि विपक्षी संख्या 1 से 5 के कब्जे में थी, जिसे दिनांक 12–1–2006 को तहसीलदार नाथद्वारा के आदेश से बेदखल कर कब्जा प्रार्थी को दिलवाया गया, तब से प्रार्थी खातेदार व काबिज है। विपक्षीगण अनाधिकार उसे पुनः बेदखल करने की धमकियां देते है। अतएव उसे अस्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय कि अपीलान्ट विपक्षी उसके कब्जे में दखलन्दाजी नहीं करें।

अपीलान्ट विपक्षीगण द्वारा खण्डन का जवाब देते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजीयात पर विपक्षीगण का कब्ज है तथा इस भूमि को सम्वत 2021 में क्रय कर लिया था। दिनांक 12–1–2006 को तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा कब्जा दिया जाना स्वीकार नहीं है। तहसीलदार द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है। तहसीलदार नाथद्वारा का धारा–175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद संख्या 189/77 भी विद्रो से खरिज होकर 30 वर्ष पूर्ण हो चुके है। यह प्रार्थना पत्र रेस्ज्युडिकेटा से भी ग्रसित है। है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने आदेश दिनांक 28–7–2010 से प्रार्थी रेस्पोन्डेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट विपक्षी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 2–12–2011 को पेश की।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की अपीलान्ट को जानकारी उनके अधिवक्ता द्वारा नहीं दी गई। दिनांक 30–11–2011 को

वकील से जानकारी करने पर निर्णय की जानकारी होने से अन्दर जानकारी मयाद अपील प्रस्तुत की जा रही है। ताईद मे शपथ पत्र भी दिया। अखण्डित शपथ पत्र व न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की और से अधिवक्ता श्री गिरधारी सिंह राव ने उपस्थिति दी। दौराने अपील अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर राजसमन्द के निर्णय दिनांक 8–7–2013 की प्रमाणित प्रतिलिपि अपर सेशन न्यायाधीश नाथद्वारा के प्रकरण संख्या 5/2012 निर्णय दिनांक 20–3–2013 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की।

उपरोक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। उपरोक्त दोनों दस्तावेज न्यायिक निर्णयों की प्रमाणित प्रतिलिपि होने से रेकार्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा दी जाती है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि भूमि पर कब्जा अपीलान्ट का होकर वे ही काबिज है तथा काबिज व्यक्ति के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती। धारा–183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही मयाद बाहर की गई। तहसीलदार द्वारा पर्चा मौका 12–1–2006 को जो बनाया गया, वह विधि विरूद्ध है, क्योंकि वह अपीलान्ट की अनुपस्थिति में एक–तरफा बताया गया पर्चा मौका है। धारा–175 का भी आवेदन विड्रो से खारिज हो चुका है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में यह सुस्पष्ट स्थिति है कि रेस्पोन्डेन्ट खातेदार को कब्जा धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही के तहत तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट की

अनुपस्थिति में दिलाये जाने की सहमत स्थिति है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदार रेस्पोन्डेन्ट प्रार्थी को उक्त प्राप्त कब्जे के आधार पर ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। उक्त धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहसीलदार के निर्णय दिनांक 16–5–2005 को जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा अपील संख्या 1/2012 में अपने निर्णय दिनांक 8–7–2013 से अपास्त कर दिया है, तद्नुसार प्रार्थी रेस्पोन्डेन्ट का कब्जा माने जाने का कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण अब शेष नहीं रहता। जिला कलक्टर राजसमन्द के निर्णय के आलोक में अब प्रार्थी रेस्पोन्डेन्ट का कब्जा होने का कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण अब शेष नहीं रहता एवं प्रथम दृष्टया काबिज अपीलान्ट विपक्षी के पक्ष में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्त रहते है, क्योंकि अस्थाई निषेधाज्ञा में काबिज व्यक्ति के विरूद्ध बिना विधिक प्रकिया से उसके कब्जे को बाधित नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में हम अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा को तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से उचित नहीं पाते।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 28–7–2010 अपास्त की जाती है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30–11–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर